



राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-न0नि0-50-24/2022 - १९९५

पटना, दिनांक - २५.५.२०२२

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZA द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 50 के प्रावधानों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग इस राज्य में नगरपालिकाओं (यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) के पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए निम्नांकित निर्वाचन प्रतीकों को निर्धारित करता है :-

निर्वाचन क्षेत्र एवं पद धारक का नाम	निर्धारित प्रतीक
1	2
1. पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए	1. कलम और दावात 3. टेम्पु 5. मोमबत्तियाँ 7. मोर 9. कैमरा 11. जोड़ा बैल 13. बाल्टी 15. चापाकल 17. उगता हुआ सूरज 19. टेलीविजन 21. डीजल पम्प 23. गाजर 25. ट्रैक्टर 27. कुर्सी 29. ब्लैक बोर्ड 31. किताब 33. हँसिया 35. गैस का चूल्हा
2. उप मुख्य पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए	2. ढोलक 4. वायुयान 6. काठ गाड़ी 8. चिमनी 10. पुल 12. ख़जूर का पेड़ 14. जग 16. टोकरी 18. तोता 20. टार्च 22. टॉफी 24. मोबाइल 26. कुआँ 28. स्टोव 30. ऊँट 32. सीटी 34. केतली 36. सेव
	1. गेहूँ की बाली 3. घड़ा 5. कुलहाड़ी 7. तितली 9. आम
	2. पीपल का पत्ता 4. चश्मा 6. टेबुल फैन 8. पानी का जहाज 10. स्कूटर

11. रोड रोलर	12. बकरी
13. हाथ ठेला	14. बत्ताख
15. तराजू	16. कार
17. छाता	18. डमरू
19. घोड़ा	20. तबला
21. डोली	
<b>3. मुख्य पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए</b>	
1. कप और प्लेट	2. मोटरसाइकिल
3. नल	4. ताला और चाबी
5. टमटम	6. प्रेशर कुकर
7. सिलाई की मशीन	8. कबुतर
9. चरखा	10. चारपाई
11. टाईपराइटर	12. मछली
13. वैन	14. मेज
15. टेबुल लैम्प	16. रेल का इंजन
17. गैस सिलेण्डर	18. हारमोनियम
19. बल्व	20. जलता हुआ दीया
21. कोट	22. जोड़ा हिरण
23. मुर्गा	24. तुरही
25. कछुआ	26. लेटर बॉक्स
27. स्टूल	28. कुदाल
29. अलमीरा	30. जीप
31. शंख	32. सीढ़ी

### सुरक्षित प्रतीक

इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्वाचन प्रतीकों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका प्रयोग विशेष परिस्थिति में यदि उपर्युक्त तीन अथवा किसी एक या एकाधिक श्रेणियों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाए तो, किया जाएगा।

### सुरक्षित प्रतीकों की सूची –

1. लट्टू	2. बगुला
3. हल	4. वरगद का पेड़
5. चौका-बेलन	6. टोप
7. लिफाफा	8. मक्का
9. काँच का ग्लास	10. अंगूठी
11. ट्रक	12. बाँसुरी
13. भोजन की थाली	14. माचिस
15. हैंगर	16. कंघा
17. खल-मूसल	18. खुरपी
19. नारियल	20. बल्ला
21. फ्रॉक	22. गुड़िया
23. लेडी पर्स	24. ब्रस
25. मोतियों की माला	

सुरक्षित प्रतीकों में अगर किसी नगर निकाय क्षेत्र में पद विशेष के प्रत्याशी के लिए क्रम संख्या 1 का निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस नगर निकाय के दूसरे पद विशेष के प्रत्याशियों के लिये आवश्यकता पड़ने पर क्रम संख्या एक को छोड़कर क्रम संख्या 2 एवं उससे आगे के क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित किये जायेंगे एवं इसी तरह अन्य पदों के लिए आवश्यकतानुसार पूर्व आवंटित सुरक्षित प्रतीकों के आगे क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित कर दिये जायेंगे। अगर अंतिम क्रम संख्या 25 पर अंकित प्रतीक के आवंटन के पश्चात भी सुरक्षित प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है तो विशेष परिस्थिति में आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

नियमावली के नियम-48 के अन्तर्गत उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के तुरंत बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की जाये –

1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र- 14(ख) में तैयार की जाये।
2. प्रपत्र-14(ख) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्णानुक्रम में तैयारी की जायेगी, परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो, तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1), (2), (3) ..... आदि अंकित किया जाएगा।
3. तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी कॉलम - 2 में निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों में से प्रपत्र- 14(ख) में अभ्यर्थियों के नामों के क्रमांक के अनुसार प्रतीकों को क्रमवार आवंटित करेंगे, अर्थात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक- 1 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक- 1, क्रमांक- 2 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक- 2, क्रमांक- 3 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक- 3 और, इसी तरह क्रमशः आवंटित करेंगे एवं नियमानुकूल पदवार प्रपत्र-14(ख) का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
4. यदि किसी पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कॉलम-2 में अंकित कुल प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाए तो पद विशेष से लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 25 (पचीस) सुरक्षित निर्वाचन प्रतीकों में से इन प्रतीकों को क्रमानुसार आवंटित किया जायगा।
5. नियमानुसार प्रपत्र-14(ख) को कार्यालय में प्रकाशित करेंगे और इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अविलम्ब भेजी जायेगी।

यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारियों को देवनागरी लिपि में वर्ण क्रम की पूर्ण जानकारी रहे ताकि प्रपत्र- 14(ख) में प्रकाशित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों को वर्ण क्रमानुसार सही-सही अंकित किया जा सके। आपकी सुविधा हेतु अभ्यर्थियों की सूची देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार करने से संबंधित राजभाषा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र संख्या 308 दिनांक 25.04.2017 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। किसी भी अशुद्धि के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। अतः दायित्व का निर्वहन निष्ठा एवं दृढ़ता के साथ सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारियों को जिले के निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध जानकार कर्मी/जिले में उपलब्ध राजभाषा विभाग के कर्मी द्वारा वर्ण क्रम के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करवाने की व्यवस्था कृपया सुनिश्चित की जाए ताकि निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-14(ख) में अभ्यर्थियों की सूची सही रूप में वर्ण क्रमानुसार तैयार की जा सके।

6. प्रतीक आवंटन संबंधी उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाये जाने हेतु आयोग द्वारा Nomination संबंधी Software विकसित किया गया है, जिनका उपयोग कर ही अभ्यर्थिता वापरी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार प्रतीक आवंटित किया जायेगा। प्रतीक आवंटन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये Nomination संबंधी Software के माध्यम से ही किया जायेगा। इस क्रम में ध्यान रखना है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रतीक आवंटन 'मैन्युअली' नहीं किया जाये। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आयोग द्वारा ससमय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात Nomination संबंधी Software से Auto Generated प्रपत्र-छ में प्रतीक की अनुकृति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को हस्ताक्षरोपरान्त अवश्य दी जाय।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी नियम 48 एवं नियम 50 के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई सही रूप से निश्चित समय पर करें।

7. इसके साथ राज्य की नगरपालिकाओं (यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) में पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद हेतु आवंटित निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति की सूची संलग्न है।

8. कृपया पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन से जुड़े सभी स्तर यह सुनिश्चित करें कि प्रतीक चिह्नों के कारण निर्वाचन किसी भी परिस्थिति में कुप्रभावित नहीं हो।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

  
(मुकेश कुमार सिंह)

सचिव,


राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न0नि0-50-24/2022 - १९९५

पटना, दिनांक - २५.०५.२०२२

प्रतिलिपि- आई. टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।

  
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।


ज्ञापांक - न0नि0-50-24/2022 - १९९५

पटना, दिनांक - २५.०५.२०२२

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) इस अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे।

  
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न0नि0-50-24/2022 - १९९५

पटना, दिनांक - २५.०५.२०२२

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।



सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न0नि0-50-24/2022 - १९९५

पटना, दिनांक - २५.०५.२०२२

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक – यथा उपर्युक्त।




सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।


पार्षद के पद के लिए  
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक



1. कलम और दावात



2. ढोलक




3. टेमु



4. वायुयान




5. मोमबत्तियाँ




6. काठ गाड़ी




7. मोर




8. चिमनी



9. कैमरा



10. पुल



11. जोड़ा बैल



12. खजूर का पेड़




13. बालटी




14. जग



15. चापाकल




16. टोकरी




17. उगता हुआ सूरज



18. तोता



19. टेलीविजन



20. टाच



21. डीजल पम्प



22. टॉफी




23. गाजर



24. मोबाइल



25. ट्रैक्टर



26. कुआँ




27. कुर्सी




28. स्टोव



29. ब्लैक बोर्ड




30. ऊँट




31. किताब



32. सीटी




33. हँसिया



34. केतली



35. गैस का चूल्हा




36. सेव

उप मुख्य पार्षद के पद के लिए  
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक



1. गेहूँ की बाली



2. पीपल का पत्ता




3. घड़ा




4. चश्मा




5. कुल्हाड़ी



6. टेबुल फैन




7. तितली




8. पानी का जहाज



9. आम



10. स्कूटर




11. रोड रैलर



12. बकरी



13. हाथ ठेला



14. बत्तख




15. तराजू




16. कार



17. छाता




18. डमरू



19. घोड़ा



20. तबला



21. डोली

मुख्य पार्षद के सदस्य के पद के लिए  
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक




1. कप और स्लेट



2. मोटरसाइकिल



3. नल




4. ताला और चाबी




5. टमटम




6. प्रेशर कुकर




7. सिलाई की मशीन



8. कबुतर




9. चरखा




10. चारपाई




11. टाईपराइटर



12. मछली



13. वैन



14. मेज




15. टेबुल लैम्प




16. रेल का इंजन



17. गैस सिलेण्डर



18. हारमोनियम




19. बल्ब



20. जलता हुआ दीया




21. कोट



22. जोड़ा हिरण



23. मुर्गा



24. तुरही




25. कछुआ



26. लेटर बॉक्स



27. स्टूल



28. कुदाल




29. अलमीरा



30. जीप



31. शंख



32. सीढ़ी


## सुरक्षित प्रतीकों की सूची




1. लड्डू



2. बगुला



3. हल




4. वरगद का पेड़



5. चौका-बेलन




6. टोप



7. लिफाफा



8. मक्का



9. काँच का ग्लास



10. अंगूठी




11. ट्रक




12. बाँसुरी




13. भोजन की थाली



14. माचिस



15. हैंगर




16. कंधा




17. खल-मूसल



18. खुरपी



19. नारियल



20. बल्ला



21. प्रॉक



22. गुड़िया



23.. लेडी पर्स



24. ब्रस



25. मोतियों की माला

**प्रपत्र-छ**  
**प्रतीक आवंटन की सूचना**

कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी

..... \*नगर निगम/ \*नगर परिषद/ \*नगर पंचायत

प्रेषित,

.....  
.....  
.....

**विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 : निर्वाचन प्रतीक आवंटन  
की सूचना।**

उपर्युक्त विषयक एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका  
नाम ..... \*नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत  
के \*वार्ड संख्या ..... के पार्षद/ \*उप मुख्य पार्षद/ \*मुख्य पार्षद हेतु दिनांक  
..... को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची  
[प्रपत्र -14 (ख)] में अंकित है तथा आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में  
..... प्रतीक आवंटित किया गया है। निर्वाचन प्रतीक  
की अनुकृति संलग्न है।

स्थान -

दिनांक -

निर्वाची पदाधिकारी

पूरा नाम -

पदनाम -

---

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।



पत्र संख्या—स्थान 1-01/2016 ..... 308 /रा०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संग्रहीत  
प्रेषक,  
सेवा में

2284  
27.4.17

विषय:-

महाशय,

रामबिलास पासवान्,  
निदेशक—सह—अपर सचिव।

सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— 25.4.17

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग द्वारा  
अनुमोदित अद्यतन वर्णनुक्रम के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—न०नि० 50-14/2016-620, दिनांक 01.03.17 के

अनु० : यथोक्त।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

विश्वासभाजन

(रामबिलास पासवान्)  
निदेशक—सह—अपर सचिव



बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

## ठिन्डी वर्णानुक्रम मार्गदर्शिका

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

व्यंजन : क ख ग घ ङ<sup>१</sup>  
च छ ज झ ञ<sup>२</sup>  
ट ठ ड ढ ण<sup>३</sup>  
त थ द ध न<sup>४</sup>  
प फ ब भ म<sup>५</sup>  
य र ल व श ष स ह<sup>६</sup>

संयुक्त व्यंजन : क्ष (क्+ष), त्र (त्+र), झ(ज्+ञ), श(श+र)

वर्णानुक्रम : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ<sup>७</sup>  
क क्ष ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ञ<sup>८</sup>  
ट ठ ड ढ ण त त्र थ द ध न प फ ब भ म<sup>९</sup>  
य र ल व श ष स ह<sup>१०</sup>

- गोटः (क) अनुस्वार और अनुनासिकता वाले वर्ण सामान्य वर्ण से पहले आएँगे।  
जैसे अं अं अ, संकरा, सँकरा, सकरा आदि।  
(ख) ओ वाला शब्द आ के बाद आएगा। जैसे लाज, लॉज।  
(ग) विसर्ग वाले शब्द सामान्य स्वर के पहले आएँगे।  
जैसे : प्रातः, प्रात / दुःख, दुख।  
(घ) संयुक्त वर्ण में आया आधा अक्षर संबंधित वर्ण के सभी मात्रायुक्त रूपों  
के अंत में अर्थात् 'औ' मात्रायुक्त अक्षर के बाद आएगा। जैसे :— मान,  
माना, मानो, मानौ, मान्य।  
'क' के का कि की कु कू के कै को कौ के बाद आएगा।

### वर्णानुक्रम के कुछ उदाहरण

- कंगन, कँगना, कगर, करौल, कर्क, कांति, काँती, काता, किंशुक, किशोर,  
कीचक, कीमत, कुंद, कुदाल, कूट, कूर, कूर्म, कूह, कृत, कृषि, कृष्ण,  
केंद्र, केतन, कैची, कैलास, कोंकनी, कोक, कौतेय, कौह, क्या, क्रम,  
वलब, ववथन, क्षण, क्षमा।



- 2.ज जंगल, जँगला, जगल, जागरण, जिगर, जीभ, जुग, जूता, जेठ, जैन, जोगिन, जौ, ज्ञान ज्येष्ठ, ज्वर।
- 3.ट टंक, टक्कर, टापू, टिटिहरी, टीका, टूसा, टेकुआ, टैक्सी, टोकरी, ट्यूबवेल, ट्रंक, ट्रस्ट, ट्रेन।
- 4.त तंग, तकली, तांबूल, ताड़, ताड़, तिथि, तीर, तुरंग, तूलि, तेल, तैयार, तोता, तौलिया, त्यक्त, त्रय, त्रैकालिक, त्वचा।
- 5.श शंकर, शक्ट, शांत, शाकाहार, शिकार, शीघ्र, शुक, शूची, शेर, शैल, शौच, शौच, श्मशान, श्रद्धा, श्राप, श्री, श्रुति, श्रेणी, श्लथ, श्वसन, श्वेत।  
संक्षेपाक्षर में वर्णक्रम का निर्धारण उपनाम के अनुसार किया जाएगा। जेसे के० के० तिवारी में तिवारी के अनुसार तथा सी० पी० ठाकुर में ठाकुर के अनुसार।

किसी नाम के आरंभ में यदि उपाधि या सम्मानसूचक शब्द अल्पाक्षर में हो, जैसे—डॉ०, प्रो०, प्रा०, मु०, शे०, पं० आदि तो वर्णानुक्रम में उसे छोड़कर ठीक बाद वाले वर्ण के अनुसार वर्णानुक्रम निर्धारित होगा। परंतु नाम का प्रारंभ ऐसे अल्पाक्षर में न होकर पूरा का पूरा हो, जैसे शेख, मुल्ला, महंथ, पंडित, मुहम्मद, मोहम्मद आदि तो उन्हें नाम का ही हिस्सा समझा जाएगा।

किसी प्रकार का संदेह होने पर ज्ञानमंडल, काशी से प्रकाशित 'बृहत् हिन्दी कोश' एवं अन्य प्रामाणिक कोशों से सहायता ली जा सकती है।



निदेशक—राह—अपर सचिव



